



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072022-237214
CG-DL-E-09072022-237214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2022/आषाढ 17, 1944

No. 353]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2022/ASHADHA 17, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप- धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,-

तालिका में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में,

(1) दिल्ली के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 6 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(2) जम्मू एंड कश्मीर के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 1 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

2. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में,

(1) मध्य प्रदेश के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 8 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(2) महाराष्ट्र के नीचे,

(क) कॉलम (1) में, क्रम संख्या 12 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(ख) क्रम संख्या 32 के बाद, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ को अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“33	खाद्य और औषधि प्रशासन प्रयोगशाला (एम.एस.), नागपुर पंजीकरण सं. 64/डब्ल्यू/ एफएसएसएआई/2022 प्लॉट सं. ई1 से ई3, पहली मंजिल, श्री भुगओंकर बिल्डिंग, नागपुर, महाराष्ट्र - 440027	रासायनिक” ;

3. दक्षिण क्षेत्र से संबंधित 'ग' में,

- (1) तमिल नाडू के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 4 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।
- (2) तेलंगाना के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 10 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III.4/असा./173/2022-23]

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन की गई:-

1. का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
2. का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
3. का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
4. का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
5. का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
6. का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
7. का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
8. का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
9. का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;
10. का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018;
11. का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
12. का.आ. संख्या 1377 (अ), दिनांक 08 मार्च, 2019;
13. का.आ. संख्या 1722 (अ), दिनांक 08 मई, 2019;
14. का.आ. संख्या 2842 (अ), दिनांक 06 अगस्त, 2019;
15. का.आ. संख्या 3428 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;

16. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;
17. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;
18. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 04 दिसम्बर, 2020;
19. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;
20. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021;
21. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021;
22. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 जून, 2021;
23. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 25 जून, 2021;
24. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 सितंबर, 2021;
25. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 08 अक्टूबर, 2021;
26. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021;
27. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 जनवरी, 2022;
28. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 24 मार्च, 2022 ;
29. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 29 अप्रैल, 2022 और ,
30. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 मई, 2022।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2022

F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION,

- (1) under *Delhi*, at serial number 6, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.
- (2) under *Jammu and Kashmir*, at serial number 1, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted

2. In 'B' related to WESTERN REGION,

- (1) under *Madhya Pradesh*, at serial number 8, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.
- (2) under *Maharashtra*,
 - (a) at serial number 12, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.
 - (b) after serial number 32, the following entries shall be inserted in respective columns, namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"33.	Food and Drugs Administrations Laboratory (M.S.), Nagpur Reg. No. 64/W/FSSAI/2022 Plot No. E1 to E3, First Floor, Shri. Bhugaonkar Building, Nagpur, Maharashtra - 440027	Chemical".

3. In 'C' related to SOUTHERN REGION,

- (1) under *Tamil Nadu*, at serial number 4, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.
- (2) under *Telangana*, at serial number 10, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./173/2022-23]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

1. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017;
2. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017;
3. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017;
4. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017;
5. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017;
6. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017;
7. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017;
8. S.O. number 848(E) dated the 19th Feb, 2018;
9. S.O. number 1516 (E) dated 28th March, 2018;
10. S.O. number 2426(E) dated 13th June, 2018;
11. S.O. number 6207 (E) dated 12th December, 2018;

12. S.O. number 1377(E) dated 08th March, 2019;
13. S.O. number 1722 (E) dated 08th May, 2019;
14. S.O. number 2842 (E) dated 06th August, 2019;
15. S.O. number 3428 (E) dated 18th September, 2019;
16. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 13th February, 2020;
17. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 23rd July, 2020;
18. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 4th December, 2020;
19. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 12th January, 2021;
20. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10th February, 2021;
21. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10th March, 2021;
22. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 02nd June, 2021;
23. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 25th June, 2021;
24. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 02nd September, 2021;
25. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 08th October, 2021;
26. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 27th October, 2021;
27. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 31st January, 2022;
28. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 24th March, 2022;
29. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 29th April, 2022 and
30. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4, dated 31st May, 2022.